

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

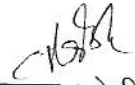
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18399-405

दिनांक:- 17 जनवरी, 2014

कार्यालय आदेश

विभाग के आदेश संख्या एफ. 3 (ख)()/अलेसे-11/17106-17110 दिनांक 04.10.2013 में संशोधन करत हुए श्री मुरारीलाल वर्मा, लेखाकार (मेरिट नं. 101/2011) कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी सिरोंही को कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोंही में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभत्ता देय होगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक,

कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18399-405

दिनांक:- 17 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोंही।
2. जिला परिवहन अधिकारी सिरोंही।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरोंही।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री मुरारीलाल वर्मा, लेखाकार (मेरिट नं. 101/2011) कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी सिरोंही।
6. श्री लोकेन्द्र सिंह, लेखाकार (मेरिट नं. 186/11) बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरोंही।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
8. व्यक्तिगत पंजिका।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(कं. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)